

13.07.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की कोर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की वृत्त सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की हथिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय न्याय अधिनियम के स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा उपलब्धील धारा गाथी द्वारा उक्त मुकदमा संख्या 250/2014 में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2014 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवाधि को कुजेन किया जाता है निर्णय सेरे इषलन हुआ गया। पत्रावली केसल शुभार लेकर नम्बर से कम है रखे हुए पत्रावली के साथ नलपी है।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरौही